

पत्र संख्या-बजट-38-193-अनाच्छादित-व्या०दु०बी०यो०(2025-26)/

04

/राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक :: 04.04.2026

अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर,
इटावा जोन- इटावा।

कृपया सूची में अंकित आपके जोन से सम्बन्धित प्रकरणों का अवलोकन करना चाहें, जो मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित है तथा जिनका निस्तारण किये जाने हेतु प्रकरण मुख्यालय प्रेषित किया गया था, प्रकरणों का परीक्षण करने पर कालम संख्या-5 में अंकित आपत्तियों प्रकाश में आयी है :-

क्र०सं०	मृतक/व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु दिनांक	आपत्ति
1	स्व० श्री सत्यनारायण	सर्वश्री मातारानी टेडर्स, कन्नौज	29-08-2024	प्रकरण में FIR दर्ज है। FIR की अद्यतन स्थिति से अवगत कराएँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरणों में दावेदार से स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का ससमय निस्तारण किया जा सके।
उक्त पत्र आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।


(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1- संयुक्त आयुक्त(कार्य०), राज्य कर, इटावा सभभाग- इटावा।

2- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।